भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 2429

गुरुवार, 13 मार्च, 2025/22 फाल्गुन,1946 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

हवाई अड्डों का निजीकरण

2429. श्री शफी परम्बिल:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान निजी कंपनियों को पट्टे पर दिए गए हवाई अड्डों की संख्या कितनी है;

(ख) हवाई अड्डों को निजी कंपनियों को पट्टे पर देने का औचित्य क्या है; और

(ग) प्रत्येक कंपनी द्वारा हवाई अड्डा परिचालन से अर्जित लाभ का ब्यौरा क्या तथा उक्त लाभ में सरकार का हिस्सा कितना है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क): पिछले तीन वर्षों के दौरान, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) का कोई भी हवाईअड्डा निजी रियायतग्राही को पट्टे पर नहीं दिया गया है।

(ख): एएआई के हवाईअड्डों को निजी क्षेत्र की दक्षता और निवेश का उपयोग करके उनके बेहतर प्रबंधन के लिए पट्टे पर दिया जाता है। राज्य और यात्री, निजी भागीदार द्वारा तैयार किए गए उन्नत हवाईअड्डे की अवसंरचन और सुविधाओं के अंतिम लाभार्थी हैं, जो पीपीपी के तहत पट्टे पर दिए गए हवाईअड्डों का प्रचालन, प्रबंधन और विकास करते हैं। हवाईअड्डे आर्थिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में उभर कर सामने आए हैं और ये राज्य की अर्थव्यवस्था पर गुणक प्रभाव डालते हैं। एएआई द्वारा पट्टे पर दिए गए हवाईअड्डों से प्राप्त राजस्व का उपयोग देश भर में हवाईअड्डे की अवसंरचना के विकास के लिए भी किया जाता है।

(ग): उपर्युक्त (क) के मद्देनजर यह प्रश्न नहीं उठता।

*****